राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

<<**ऽप-**मंडल>> : <<जिला>>जिला

विवाह प्रमाण पत्र

<<हिंदू विवाह अधिनियम, 1955>><< विशेष विवाह अधिनियम, 1954>> के अन्तर्गत

प्रमाण-पत्र संख्या : << प्रमाण-पत्र संख्या>>

जारी करने की तिथि : << डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि >>

प्रमाणित किया जाता है कि इनके बीच विवाह

श्रीमान <<वर का नाम>>, सुपुत्र श्री<<पिता का नाम>और श्रीमती <<माता का नाम >>, निवासी <<वर का पता >> उम्र <<वर की उम्र>> जन्म <<जन्म तिथि>>

वर का फोटो

तथा

सुश्री << वधू का नाम>>,

सुपुत्री श्री << पिता का नाम>और श्रीमती <<माता का नाम >>,

निवासी << वधू का पता >>

आयु << वधू की आयु>> जन्म <<जन्म तिथि>>

वधू का फोटो

प्रचिलत प्रथा के अनुसार दिल्ली में <िववाह की तिथि> पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत रूप से अनुष्ठापित किया जाता है:

- 1. <<श्रीमान/श्रीमती/सुश्री>><<गवाह का नाम>> <<पुत्र/पुत्री/पत्री>> का,
 <<पिता/पति का नाम>> निवासी << गवाह का पता>>
- 2. <<श्रीमान/श्रीमती/सुश्री>><<गवाह का नाम>> <<पुत्र/पुत्री/पत्नी>> का, <<पिता/पति का नाम>> निवासी << गवाह का पता>>

विवाह अधिकारी के कार्यालय में <पंजीकरण की तिथि> को विधिवत पंजीकृत किया गया है, जिला <<जिले का नाम>> इस कार्यालय में प्रस्तुत विवरण के आधार पर <विवाह पंजीकरण स्थान का पता>>, दिल्ली।

वर के हस्ताक्षरः <<हस्ताक्षरः <<हस्ताक्षरः >>

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित : <<प्राधिकारी का नाम>>

पदनाम : <<प्राधिकारी का पदनाम>>

स्थान : << हस्ताक्षर करने का स्थल>>

हस्ताक्षर करने की तारीख और समय : <<हस्ताक्षर की तारीख और समय>>

- 1. यह प्रमाण-पत्र, समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुरूप वैध है।
- 2. इस प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की जांच <<सत्यापन के लिए वेब एड्रेस>> से की जा सकेगी। इस दस्तावेज के विवरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से तुलना करने पर किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में इसे अवैध माना जाएगा।
- 3. सत्यता की जांच का दायित्व दस्तावेज के उपयोगकर्ता का है।
- 4. किसी विसंगति की स्थिति में कृपया इस प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करें।